न्यायालय–सत्र न्यायाधीश, लखीमपुर खीरी।

पीठासीन अधिकारी–शिव कुमार सिंह (एच0जे0एस0)

I.D No-UP 5743

जमानत प्रार्थना पत्र संख्या–1247 / 2026

कम्प्यूटर पंजीकरण संख्या–2696 / 2026

(CNR UPLP 010057362026)

आर0के0 तिवारी उर्फ राजेन्द्र कुमार आयु करीब 64 वर्ष पूर्व चौकी इंचार्ज कोतवाली मोहम्मदी जिला खीरी पुत्र स्व0 गनेश प्रसाद तिवारी निवासी मोहल्ला एल / 701 रूचि खण्ड प्रथम, शारदानगर कालोनी, थाना आशियाना, जिला लखनऊ।

बनाम

उ0प्र0राज्य

परिवाद सं0–7415 / 2023,
धारा–452, 354, 504, 506 भा0द0सं0,
थाना–मोहम्मदी, जिला लखीमपुर खीरी।

20.07.2026

1– प्रस्तुत जमानत प्रार्थना–पत्र प्रार्थी / अभियुक्त आर0के0 तिवारी उर्फ राजेन्द्र कुमार की ओर से परिवाद सं0–7415 / 2023, धारा–452, 354, 504, 506 भा0द0सं0, थाना–मोहम्मदी, जिला लखीमपुर खीरी के सम्बन्ध में प्रस्तुत किया गया है।

2– प्रार्थी / अभियुक्त की ओर से जमानत प्रार्थना पत्र में मूल तर्क यह लिये गये हैं कि प्रार्थी / अभियुक्त सीधे–सादे निर्दोष चरित्र का व्यक्ति है, जिसने कोई अपराध नहीं किया है। प्रार्थी / अभियुक्त की किडनी खराब हैं तथा काफी दिनों से उसका इलाज देशी जड़ी बूटियों के सहारे चल रहा है। प्रार्थी / अभियुक्त कभी किसी मामले में सजायाफ्ता नहीं है, न ही किसी मामले में दोषसिद्ध हुआ है। प्रार्थी / अभियुक्त को प्रस्तुत मामले में झूठा आलिप्त किया गया है। अभिकथित ढंग से बताया गया अभियोजन कथानक पूर्णतः मिथ्या और बनावटी है, जिसमें कोई सारवान एवं विश्वसनीय साक्ष्य अभियोजन के पास उपलब्ध नहीं हैं। प्रार्थी / अभियुक्त ने कोई अपराध नहीं कारित किया है, उसे प्रस्तुत मामले में झूठा फंसाया जा रहा है। वास्तविकता यह है कि प्रार्थी / अभियुक्त तत्कालीन चौकी प्रभारी के रूप में पदीय कर्तव्यों का निर्वहन करते हुये परिवादिनी के परिवारीजन को गिरफ्तार किया था, इसी नाराजगी के चलते परिवादिनी ने अन्य आरोपियों के साथ उसके खिलाफ भी परिवाद में कथन किया है तथा आरोपित किया जा रहा है,

जबकि वह पूरी तरह निर्दोष है। प्रार्थी/अभियुक्त लोकसेवक के खिलाफ सक्षम प्राधिकारी से संज्ञान की अनुमति लिए बिना उसके खिलाफ संज्ञान नहीं लिया जा सकता है न ही मुकदमा चलाया जा सकता था किन्तु मजिस्ट्रेट न्यायालय मोहम्मदी ने तथ्यों और विधिक परिस्थितियों की उपेक्षा करते हुये प्रार्थी/अभियुक्त को तलब किया है तथा उसके खिलाफ विचारण संचालित किया जा रहा है। अभिकथित अपराध सात वर्ष से कम के कारावास से दण्डनीय अपराध से संबंधित है, जो मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा विचारणीय है। उपरोक्त आधारों पर जमानत पर रिहा किये जाने की याचना की गयी है।

3— जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) द्वारा जमानत प्रार्थना पत्र का विरोध करते हुए कहा गया है कि प्रार्थी/अभियुक्त ने जमानत की सुविधा का दुरूपयोग किया है, इसलिए जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किया जाए।

4— जमानत प्रार्थना पत्र पर प्रार्थी/अभियुक्त के विद्धान अधिवक्ता व विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) के तर्को को सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

5— पत्रावली के अवलोकन से विदित है कि प्रार्थी/अभियुक्त उक्त मामले में पूर्व में जमानत पर था तथा उसके न्यायालय से अनुपस्थित हो जाने के कारण दिनांक 04.11.2015 को उसके विरूद्ध न्यायालय द्वारा गैर जमानतीय अधिपत्र जारी किया गया था। प्रार्थी/अभियुक्त न्यायालय द्वारा जारी गैर जमानतीय अधिपत्र के निष्पादन में इस वाद में दिनांक 14.07.2026 से जेल में निरूद्ध है। प्रार्थी/अभियुक्त का कहना है कि जमानत स्वीकार किये जाने से अन्वेषण प्रभावित होने की कोई संभावना नहीं है, वह अभियोजन साक्ष्यों को प्रभावित नहीं करेगा तथा न्यायालय द्वारा अधिरोपित प्रत्येक शर्त और बाध्यताओं का अनुपालन करेगा।

6— अतः मामले के तथ्यों, परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए गुण—दोष पर बिना राय व्यक्त किये हुये प्रार्थी/अभियुक्त का जमानत प्रार्थना—पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

प्रार्थी/अभियुक्त आर0के0 तिवारी उर्फ राजेन्द्र कुमार द्वारा प्रस्तुत जमानत प्रार्थना—पत्र स्वीकार किया जाता है। प्रार्थी/अभियुक्त को मु0—50,000/—रूपये (पचास हजार रूपये) का स्वबंधनामा तथा समान राशि की एक <u>नवीन प्रतिभू</u> निम्न शर्तो के अधीन निष्पादित करने पर, जमानत पर रिहा किया जाये —

1—प्रार्थी/अभियुक्त प्रत्येक नियत दिनांक पर न्यायालय में उपस्थित रहेगा।

2—प्रार्थी/अभियुक्त साक्षीगण के उपस्थित आने पर किसी प्रकार का स्थगन प्रस्तुत नहीं करेगा तथा गवाहान को धमकायेगा नहीं एवं दौरान वाद न्यायालय को सूचित किये बगैर अपने निवास स्थान को परिवर्तित नहीं करेगा।

उक्त शर्तो के उल्लंघन पर न्यायालय प्रार्थी/अभियुक्त की जमानत निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में यथोचित आदेश पारित कर सकेगा।

(शिव कुमार सिंह)
सत्र न्यायाधीश,
लखीमपुर खीरी।

दिनॉक—20.07.2026

Digitally signed by SHIVA KUMAR SINGH
Date: 2026.07.29 19:54:24 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court